

एफ-19-70/2016/आमा./19

①  
से.लो.नि.

विषय: विषय:-डब्ल्यू.पी. कमांक-215/2016 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।  
का विभाग

यंजी क्रमांक-1018/2016/सा./19, दिनांक 15.02.2016  
मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त पत्र दि.

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त पत्र में डब्ल्यू.पी. प्रकरण कमांक-215/2016 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य पीटीशन प्राप्त हुई है। जिसका संबंध कार्यपालन यंत्री,लो.नि.वि.संभाग-मिण्ड से है।

2/ अतःप्रकरण में कार्यपालन यंत्री,लो.नि.वि.संभाग-मिण्ड को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। तदनुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ ।

अनु.अधिकारी.

कृपया "अ" दिनांक 03/03/16

मिण्ड

कृपया

पुष्टि

ग.प.

02 निम्नलिखित आदेशों की प्रति अनुसंधान

उपरोक्त आदेशार्थ ।

कृपया  
वर्षा  
कृपया  
ग.प.

मध्य प्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
आवक 1049-50/22  
दिनांक 10/03/2016

एफ-19-70/2016/आमा./19

②

विषय: डब्ल्यू.पी. कमांक-215/2016 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।  
छत्तीस-2 सचिवालय का विभाग

देखिए से:

P-20/C

अपने से अपनी अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। परिसरव आदेश हेतु नति विभाग को सूचित करना चाहें।

अ.प्र.

अ.प्र.

अ.प्र.

दिनांक 15/03/16

13/3/16  
कृ.प्र.कोश प्रशासन  
सचिव, म.प्र.शासन  
लोक निर्माण विभाग

14/03/16  
15/03/16

8049

२२. ३. १६ ①

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at  
GWALIOR**

Process Id: 3508/2016

WP/215/2016

From

Deputy Registrar,  
High Court of MP  
Bench at Gwalior

FOR ADMISSION  
Fixed for 17-03-2016  
DA- 06  
Respondent No. 1  
RAD

To,

The State of Madhya Pradesh Thr,  
It's Principal Secretary, Department of  
Public Works, Mantralaya, Govt. of M.P.,  
Vallabh Bhawan, Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

महाराष्ट्र सरकार  
महाराष्ट्र सरकार  
1018  
15/2/16

Gwalior 02-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo  
Warranto) No. WP/ 215/ 2016


Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Mahendra Singh Kushwah** has filed a petition  
under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is  
registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/215/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged  
Advocate on or before **17-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and  
decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

SECTION OFFICER  
Section Officer  
High Court Of Madhya Pradesh  
Bench Gwalior

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH :****BENCH GWALIOR****Writ Petition No. 215...../2016**

Petitioner : Mahendra Singh Kushwah

Versus

Respondents : State of M.P. &amp; Ors.

**LIST OF EVENTS**

S.No.	Date	Events of the case
1	06/06/15	The Election authority has issued notification for election of Prathmik Krishi Sakh Sahkari Sanstha Maryadit, Birgawa Rani, Distt. Bhirad and election schedule.
2		The petitioner has been appointed as returning officer.
3		The petitioner has successfully conducted the election and declared the result.
4	10/07/15	Respondent No.5 filed W.P.No.4246/2015 against the election proceedings which was disposed of with certain direction.
5	17.7.15	The respondent No.5 instead to comply with order submitted representation before M.P. State Cooperative Election Authority.
6	03/08/15	The representation was forwarded to the Commissioner.
		The commissioner relegated the issue before the respondent No.3 & 4.
7	30.12.2015	The respondent No.3 & 4 declared the election as null and void and also made derogatory comments/ stricture against the petitioner.
8		Hence, this petition.

Date :  
Place : Gwalior

(D.P. Singh)

Advocate for the Petitioner

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH :****BENCH GWALIOR****Writ Petition No. 215...../2016**

Petitioner : Mahendra Singh Kushwah

Versus

Respondents : State of M.P. &amp; Ors.

**INDEX**

S. No.	Description of documents	Date of document	Original/ copy	Number of Pages
1	Memo of Writ Petition		Original	1-11
2	Affidavit		---	12
3	Copy of order.	30.12.15	Copy	13-15
4	Copy of notification.		---	16
5	Copy of election schedule		---	17-19
6	Copy of order.	10/07/15	---	20-23
7	Copy of representation.	17.7.15	---	24
8	Copy of order.	03/08/15	---	25
9	Copy of order.	10/08/15	---	26
10	Vakalatnama		Original	27

Date :  
Place : Gwalior

(D.P. Singh)

Advocate for the Petitioner

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH :**

**BENCH GWALIOR**

**Writ Petition No. 215/2016**

**Petitioner**

: Mahendra Singh Kushwah, S/o  
Shri Vishwanath Singh  
Kushwah, Aged: 50 Yrs., Occ:  
Service, Posted as Sub  
Engineer, Public Works  
Department, Gohad, Bhind, R/o  
Gohad, Bhind (M.P.)

**Versus**

**Respondents**

1. The State of Madhya Pradesh,  
Through its Principal Secretary,  
Department of Public Works,  
Mantralaya, Govt. of M.P.,  
Vallabh Bhawan, Bhopal (M.P.)
2. The Engineer-in-Chief,  
Department of Public Works,  
Satpuda Bhawan, Bhopal (M.P.)
3. The Joint Registrar cum Joint  
Commissioner, Department of  
Cooperative Society, Gwalior
4. Shri H.M. Singhal,  
Joint Registrar cum Joint  
Commissioner, Department of  
Cooperative Society, Gwalior
5. Umesh Kumar Sharma, S/o  
Shri Balwant Prasad Sharma,  
Aged: 38 Yrs., Occ: Agriculture,  
R/o Vill. Birgama Rani, Ater,  
Bhind (M.P.)

**WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226**

**OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

May it please this Hon'ble Court :

**1. Particulars of the cause/order against which  
the petition is made :-**

- (1) Date of the order : 30.12.2015
- (2) Passed in file No. : Nil
- (3) Passed by : Nil
- (4) Subject matter in brief :

The petitioner is aggrieved by order passed in Case No.80 (A)-2015-16/24 on 30.12.2015 passed by respondent No.3. Copy of the order dated 30.12.2015 is annexed and marked herewith as **ANNEXURE P-1**. Whereby while deciding the proceedings under Section 80A of the Cooperative Society Act (for short the 'Act'), the respondent No.3 & 4 has passed derogatory comments/ stricture against the petitioner. Such a derogatory comments/ stricture has been passed by respondent No.3 & 4 exceeding his jurisdiction by entertaining the proceedings which itself is not maintainable under Section 80 A of the Act. So also, the whole proceeding has been decided without complying with the order passed by this Hon'ble Court in W.P.No.4246/2015 and entertaining the application in excess of his

jurisdiction with a mala fide intention. Hence, this petition.

**2. Matter not previously filed or pending :-**

The petitioner declares that no proceeding on the same subject matter has been previously instituted in any Court, authority or tribunal.

**3. Details of remedies exhausted :**

The petitioner declares that he has availed all statutory and other remedies.

**4. Delay, if any, in filing the petition and explanation therefor:**

There is no delay in filing the petition

**5. Facts of the case :-**

5.1 That, the petitioner was initially appointed as Sub-Engineer on daily wage in the year 1987. Thereafter, his services were regularized vide order dated 20.04.2005. Since, the date of his initial appointment, the petitioner is performing his duties with sincerity and utmost devotion.

5.2 That, the department of Cooperative Society has scheduled the election of root level society through M.P. State Cooperative Election Authority who has issued notification of election. Copy of the notification is annexed and marked herewith as **ANNEXURE P-**

2. The petitioner was appointed as returning officer for conducting the election of Prathmik Krishi Sakh Sahkari Sanstha Maryadit, Birgawa Rani, Distt. Bhind. Copy of the order of appointment of petitioner as returning officer is not available but the said notification for appointment of returning officer was issued by the election authority.

5.3 That, in pursuance to the election schedule, the petitioner has successfully conducted the election of the Prathmik Krishi Sakh Sahkari Sanstha Maryadit, Birgawa Rani. Copy of the election schedule of the society is annexed and marked herewith as

**ANNEXURE P-3.** Thereafter, the petitioner has conducted the election and declared the result of the election of society.

5.4 That, being aggrieved with the election of society, one of the candidate raised a voice against the election by filing W.P.No.4246/2015. Considering the settled principle of law, this Court has not entertained the writ petition of respondent No.5- Umesh Kumar Sharma keeping in view the election programme is going on, accordingly, the writ petition was disposed of with a direction to the petitioner therein-respondent No.5 to file a comprehensive

complaint within seven days along with certified copy of the order passed by this Court before the Registrar. Copy of the order dated 10.7.15 is annexed and marked herewith as **ANNEXURE P-4**. In pursuant to the order passed by this Hon'b'e High Court, the respondent No.5 has not made any complaint to the Registrar and on the other hand moved three line application before M.P. State Cooperative Election Authority on 17<sup>th</sup> July, 2015. Copy of the representation is annexed and marked herewith as **ANNEXURE P-5**. The authority has entertained the representation of Umesh Kumar Sharma and forwarded the matter before the Commissioner, Cooperative Society by order dated 3.8.2015. Copy of the order dated 3.8.15 is annexed and marked herewith as **ANNEXURE P-6**. The Commissioner has further relegated the issue before the Joint Registrar, Gwalior vide order dated 10.08.2015 with the direction to exercise power under Section 80 A of the Act. Copy of the order dated 10.08.2015 is annexed and marked herewith as **ANNEXURE P-7**.

5.5 That, in pursuant to the same, the respondent No.3 has exceeded his jurisdiction and entertained the

proceedings under Section 80 A and declared the election as null and void and further made derogatory comments/stricture over the functioning of the petitioner vide order impugned Annexure P-1 and directed the department for initiating an action though the proceedings which is entertained by respondent No.3 under Section 80 A of the Act is contrary to Section 64 (5) of M.P. Cooperative Society Act, wherein, the election can be call in question under Section 64 (5) of the Act. Thus, it is apparent that the respondent No.3 has entertained a malicious proceeding by exceeding his jurisdiction which is contrary to the directives of this Hon'ble Court passed in W.P.No.4246/2015 and created a question mark over the petitioner while functioning as returning officer and given finding that the conduct of the petitioner is suspected. Such derogatory comments/stricture passed by respondent No.3 is patently illegal, based on illegal/colorable exercise of power so also based on without following the principles of natural justice which is unsustainable, therefore, the derogatory comments/stricture in respect of the petitioner passed by respondent No.3 is illegal, arbitrary, malafide and the same deserves to be quashed.

5.6 That however, being aggrieved with the order dated 30.12.2015 Annexure P-1, the petitioner has no other alternative, efficacious and speedy remedy except to file this petition, therefore this Writ Petition under Article 226/227 of the Constitution of India is being filed on the following amongst other grounds :-

**6. Grounds urged :-**

6.1 That, the order impugned Annexure P-1 passed by respondent No.3 & 4 with respect to passing derogatory comments/stricture against the petitioner without issuing any notice or affording any opportunity of hearing or following the principles of natural justice is illegal, arbitrary, malafide and the same is unsustainable, which deserves to be quashed.

6.2 That, it is not out of place to mention here that the proceedings can only be initiated on the basis of directives passed by this Hon'ble Court in W.P.No.4246/2015 but respondent No.3 has exceeded his jurisdiction, entertaining such a proceeding without comprehensive representation and declared whole election as null and void by exceeding his jurisdiction. Though, with regard to the election of cooperative society, the power is vested

under Section 64 (5) of the Act, therefore, the proceedings entertained under Section 80A of the Act without any comprehensive representation or any specific allegation against the petitioner is patently illegal and based on illegal/colorable exercise of power, which deserves to be quashed.

6.3 That, it is not out of place to mention here that this Hon'ble Court has not entertained the writ petition during the proceedings of election and therefore direction has been given to the petitioner to file comprehensive representation before the Registrar, M.P. Cooperative Society but the respondent No.5 has not made any complaint before the Registrar in compliance of the order of this Hon'ble Court, therefore, the proceedings as entertained under Section 80 A of the Act without any compliance made by respondent No.5 and entertaining the proceedings under section 80A of the Act questioning election itself is without application of mind therefore the proceedings under Section 80 A is contrary to the directives issued by this Hon'ble Court which vitiate the same, therefore, the order impugned in respect of derogatory comments/ stricture against the petitioner is also void ab initio.

6.4 That, it is not out of place to mention here that the petitioner who is a returning officer prior to passing derogatory comments/ stricture, the respondent has not afforded any opportunity of hearing nor followed the principles of natural justice, therefore, the order passed by respondent No.3 in respect to derogatory comments/stricture is illegal, arbitrary, malafide and the same is gross violation of principles of natural justice.

6.5 That, the conduct of the respondent No.3 & 4 is highly suspected who has questioned the election proceedings without any comprehensive representation as made by the complainant. Such a power exercised by the respondent No.3 is based on illegal/colorable exercise of power and without application of mind which vitiate the whole proceedings which itself reflects that the same is malicious proceedings.

6.6 That the other grounds shall be urged at the time of hearing.

**7. Relief prayed for :-**

It is therefore humbly prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow this Petition and be further pleased to issue the writ in the nature of mandamus or any other suitable writ, order or

directions to grant the following reliefs to the petitioner :-

- (i) That, the impugned order dated 30.12.2015 Annexure P-1 in respect of derogatory comments /stricture made against the petitioner may kindly be ordered to be set-aside with a further direction to the respondent No.1 & 2 not to take any coercive action against the petitioner in pursuance to the same.
- (ii) That any other relief which is suitable in the facts and circumstances of the case in favour of the petitioner including the costs throughout may also be granted.

**8. Interim order/writ, if prayed for :-**

During pendency of the present writ petition, the effect and operation of the impugned order dated 30.12.2015, Annexure P-1, with respect to derogatory comments/ stricture against the petitioner may kindly be stayed, in the interest of justice.

**9. Documents relied on but not in possession of the petitioner :-**

The petitioner declares that there is no any document which is relied on but not in possession of the petitioner.



10. **Caveat :**

That, no notice of lodging a caveat by the opposite party is received.

**DECLARATION :**

The copies, as required by rule 25 of Chapter X of the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008, have been served upon ----- (the person upon whom the copies have been served) at ----- (time) on ----- (date) in ----- (place).

Date :  
Place : Gwalior

(D.P.Singh)  
Advocate for the Petitioner

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH :****BENCH GWALIOR**

Writ Petition No...../2016

Petitioner : Mahendra Singh Kushwah

Versus


Respondents : State of M.P. & Ors.

**AFFIDAVIT**

I, Mahendra Singh Kushwah, S/o Shri Vishwanath Singh Kushwah, Aged: 50 Yrs., Occ: Service, Posted as Sub Engineer, Public Works Department, Gohad, Bhind, R/o Gohad, Bhind (M.P.), deponent do hereby state and affirm on oath as under :-


1. That I am the petitioner in the Writ Petition and am well conversant with the facts of the case.
2. That the instant writ petition has been got drafted under my instructions by my counsel and the contents of para 1 to 4 and 7 to 10 of this petition are as per the format.
3. That the contents of para 5.1 to 5.5 are the facts of the case and the same are true and correct to my personal knowledge and records. The contents of paras 6.1 to 6.5 are as per the deliberations of my counsel and I believe the same to be true and correct.
4. That the Annexures are Xeros/typed copies of their respective originals.

Date :  
Place : Gwalior


**VERIFICATION**

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of para 1 to 4 of the affidavit are true and correct to the best of my personal knowledge and belief. Verified and signed on this \_\_\_\_\_ day of January, 2016 here at Gwalior.

Date :  
Place : Gwalior



न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें संभाग ग्वालियर

(समक्ष:- एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक) -

प्रकरण क्रमांक/80 (क)-2015-16/24

139

उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बलवंत प्रसाद शर्मा  
निवासी-ग्राम विरगंवारी तहसील अटार जिला- भिण्ड  
-आवेदक

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH :**

**BENCH GWALIOR**

**Writ Petition No. 215...../2016**

Petitioner : Mahendra Singh Kushwah

Versus

Respondents : State of M.P. & Ors.


**LIST OF DOCUMENTS**

S.No.	Description of documents	Annexure marked
1	Copy of order dated 30.12.15.	P-1
2	Copy of notification.	P-2
3	Copy of election schedule	P-3
4	Copy of order dated 10.7.15	P-4
5	Copy of representation dated 17.7.15	P-5
6	Copy of order dated 3.8.15	P-6
7	Copy of order dated 10.8.15	P-7

Date :  
Place : Gwalior

(D.P. Singh)

Advocate for the Petitioner



विरुद्ध

1. उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड
2. महेन्द्र सिंह कुशवाह, निर्वाचन अधिकारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विरगंवा रानी जिला भिण्ड
3. समिति प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विरगंवा रानी जिला भिण्ड
4. श्री सुरेश कुमार शर्मा, निर्वाचित अध्यक्ष, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विरगंवा रानी जिला भिण्ड।
5. श्री रामनाथ सिंह संचालक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विरगंवा रानी जिला भिण्ड

-अनावेदकगण

(आदेश दिनांक 30.12.15)

आवेदक सहित श्री अनिल जोशी अभिभाषक।  
अनावेदक की ओर से श्री वाई. पी. सिंह अभिभाषक।  
निर्वाचित अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा एवं संचालक  
श्री रामनाथ की ओर से श्री दिलीप अवस्थी अभिभाषक।

यह निगरानी माननीय न्यायालय रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी म.प्र. के पत्र क. रीडर/पं. /15/119 नेपाल दि. 10.8.2015 से इस कार्यालय को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर म.प्र. रिटपिटीशन क. 4246/2015 उमेश कुमार शर्मा पिता श्री बलवंत प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम विरगंवा रानी जिला भिण्ड विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य 12 में पारित आदेश दिनांक 10.7.2015 के पालन में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 80(क) के अंतर्गत समय सीमा में विधिवत कार्यवाही हेतु संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें संभाग ग्वालियर को अंतरित की गई है। जिसके पालन में प्रकरण तत्काल पंजीयक किया जाकर सभी संबंधित पक्षकारों को विधिवत सूचना दी गई एवं संबंधित सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये कार्यवाही संपन्न की गई है।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार जोशी द्वारा उपस्थित होकर सर्व प्रथम निर्वाचन अभिलेख खोले जाने का निवेदन किया गया, जिसका विरोध अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक श्री वाई.पी. सिंह एवं श्री दिलीप अवस्थी की ओर से किया गया, किन्तु अनावेदकगण की आपत्ती अमान्य करते हुये न्याय हित में निर्वाचन का बन्द लिफाफा समयपक्षों की उपस्थिति में खोला गया। तथा अभिलेख अवलोकन की अनुमति आवेदक एवं अनावेदक अभिभाषकगण को दी गई।

अभिलेख अवलोकन उपरांत आवेदक अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्कों में कहा गया कि निर्वाचन अधिकारी के साथ मिलकर संस्था का निर्वाचन हाईजेक कर लिया गया था, मौके पर कोई चुनाव नहीं हुआ, निर्वाचन अधिकारी तो बास्तव में अस्पताल में भर्ती थे। सम्पूर्ण चुनाव हाईजेक कर मनमाने ढंग से प्रपत्रों पर निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर करा लिए गये हैं। उनके द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में एक ही व्यक्ति के द्वारा समस्त नामांकन फार्म भरा जाना बताया गया, और इसी बात को उन्होंने निर्वाचन हाईजेक किये जाने का प्रमाण होना कहा गया तथा नियोजन पत्रों की वापसी के प्रारूप का अवलोकन कराते हुये व्यक्त किया गया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपना नियोजन पत्र वापिस नहीं लिया गया है तथा बताया कि नियोजन पत्रों की वापसी हेतु निर्धारित प्रारूप छ-14 नियम 49-ड पर उम्मीदवारों के स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है तथा ऐसे सभी उम्मीदवारों द्वारा इसके समर्थन में स्टॉप पेपर पर अपने-अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये कहा गया कि निर्वाचनीकर्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रो 4246/2015 प्रस्तुत की गई थी, जो आदेश दिनांक 10.07.2015 से निराकृत हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में निगरानीकर्ता आदेश दिनांक से सात दिवस में कोमोहेनसिव कम्प्लेन्ड आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं को 40 प्रो भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वाध्य था, किन्तु उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कोई कोमोहेनसिव कम्प्लेन्ड आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं को 40 प्रो भोपाल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, अपितु निर्वाचन आयोग को एक तीन लाइन का पत्र दिनांक 17.07.2015 को लिखा गया इस में कोई तथ्य नहीं था, केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संलग्न होने संबंधी बात लिखी गई थी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा निगरानीकर्ता का पत्र आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं को 40 प्रो भोपाल को भेजा गया था। इस प्रकार जबकि निगरानीकर्ता की कोई शिकायत या अभिवचन नहीं है, उसके कोई भी तर्क श्रवण योग्य एवं विचारण योग्य नहीं है।

मान्य आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं को 40 प्रो भोपाल द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को अंतरण उपरांत तत्काल ही सूचना पत्र जारी किये जाने पर आवेदक द्वारा लिखित रूप से अपने कथन प्रस्तुत किये गये, तत्पश्चात कतिपय व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो तत्सदीक न होने के कारण शपथ पत्र के रूप में पठनीय नहीं है। पश्चातवर्ती क्रम में पुनः स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अनावेदक अधिवक्ता का यह भी कहना है, कि निगरानीकर्ता के द्वारा चुनाव के दौरान यदि अनियमितता हुई थी तो निकटतम अधिकारी को शिकायत की जाती किन्तु उप पंजीयक, सहकारी संस्थाओं जिला मिण्ड के अभिलेख में इस प्रकार की किसी भी शिकायत प्राप्त होने का कोई लेख नहीं है, और न ही शिकायतकर्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो चुनाव के दौरान शिकायत किया जाना या उसे न सुना जाना प्रमाणित करेगा हो। उनके द्वारा आगे यह भी कहा गया कि चुनाव विधिवत हुआ था, स्वयं निगरानीकर्ता द्वारा निर्वाचन में भाग लिया गया था, दौरान जाँच में कुछ नामांकन निरस्त हुए कुछ आपत्ती सहमति से वापिस लिए जाकर निष्पक्ष, विवाद रहित, निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हुआ था। इस बात का महत्वपूर्ण प्रमाण निगरानीकर्ता की भौ श्रीमती जलदेवी का संचालक चुना जाना है।

हस्तक्षेपकर्तागण के अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि संस्था का निर्वाचन विधि अनुसार आम सहमति से सम्पन्न हुआ था, इसी कारण उमेश अर्थात् निगरानीकर्ता द्वारा भी अपना नामांकन भरा गया था। यदि चुनाव हाईजेक होता तो निगरानीकर्ता का नामांकन कैसे भरा जाता। निगरानीकर्ता की यह आपत्ती कि एक ही व्यक्ति के द्वारा कई नियोजन पत्र भरे गये हैं, मान्य योग्य नहीं है,

क्यों कि नियम 41 के उपनियम 41(4) अनुसार एक व्यक्ति समूह के घोषित पदों की संख्या तक नियोजन पत्र में प्रस्तावक या समर्थक हो सकता है, और नामांकन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रस्तावक, समर्थक, एवं प्रत्यासी तीनों को ही है। यदि निगरानीकर्ता को आपत्ति थी तो उसके द्वारा तत्समय यह आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई। उनके द्वारा आगे कहा गया कि शिकायत विद्वेष जनित है निर्वाचन विधिवत होने बावजूद उनकी ओर से कई शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में मेरे द्वारा उक्त निगरानी प्रकरण का उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत अभिलेख एवं गुण दोषों पर निराकरण किया जा रहा है। उभय पक्षों के तर्क श्रवण उपरांत मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत उभय पक्षों के अभिलेख, कथन, शपथ पत्र कार्यालय उप पंजीयक जिला मिण्ड के कार्यालयीन अभिलेखों से निर्वाचन से संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुरूप नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत तिथि दिनांक 15.07.2015 को कुल 31 नामांकन पत्र प्राप्त हुये थे इन नामांकन पत्रों की जाँच निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार दिनांक 17.07.2015 को की गई जिसमें 5 नामांकन पत्र अवैध पाये जाने से निरस्त करते हुये 26 वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन किया गया। निगरानी कर्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि निर्वाचन की विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा वैध पाये गये 26 नियोजन पत्रों में से 17 नियोजन पत्रों को वापिस होना बताया जाकर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई तथा शेष बचे हुये 9 उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया गया। जिन 17 उम्मीदवारों के नियोजन पत्र वापिस होना निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभिलेख में दर्शित है उनमें से श्री जय प्रकाश, श्री रामदास, श्री नाथूराम, श्री विजयवहादुर, श्री बाबूराम, श्री रामशंकर, श्री सतीश कुमार, श्री उमेश कुमार, श्रीमती सोना देवी, श्री अशोक, श्री रामदत्त शर्मा, श्री भिनोद सिंह, श्री राजाराम वघेल, श्री वृजकिशोर शर्मा, श्री उपेन्द्र कुमार, श्री कमल किशोर इस प्रकार 16 शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें उम्मीदवार एवं उनके प्रस्तावक समर्थक प्रत्येक शपथ पत्र प्रस्तुत की गई है कि उनके द्वारा अपना नामांकन पत्र वापिस नहीं लिया गया है तथा फर्जी तौर पर नामांकन पत्र वापिस की कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामांकन पत्रों की वापिस हेतु निर्धारित प्रारूप छ-14 नियम 49-ड के उपनियम 6 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप का अवलोकन करने से यह प्रमाणित होता है कि नियोजन पत्र वापिस लेने वाले प्रारूप पर उम्मीदवार के स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि सहकारी अधिनियम 1980 के नियम 49-ड के उपनियम 6 के अंतर्गत उम्मीदवारी वापिस लिये जाने की लिखित सूचना से संबंधित प्रावधान अविकल रूप से निम्नानुसार है:- "कोई अन्यथा उसके द्वारा लिखित में सूचना देकर उपनियम (3) के खंड (घ) के अधीन नियत दिनांक को या रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के माध्यम से प्रारूप छ-14 में प्रस्तुत करके अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले सकता है रिटर्निंग अधिकारी प्रारूप छ-15 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले ली है। किसी अभ्यर्थी को उसकी अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा" इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवारी वापिस लेने के लिये निर्धारित प्रारूप छ-14 में लिखित रूप से रिटर्निंग आफीसर को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसे स्वयं के हस्ताक्षर किये हुये आवेदन पत्र को वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रस्तावक अथवा समर्थक के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा। जबकि निर्वाचन के अभिलेख में प्रस्तुत 17 आवेदन पत्रों पर अभ्यर्थी के स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है तथा सभी 17 आवेदन समर्थक या प्रस्तावक के द्वारा ही वापिस लिया जाना दर्शित हो रहा है। एक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर दर्शित है परन्तु ऐसे उम्मीदवारों में श्री उपेन्द्र द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करके यह अभिवचन किया है कि उनके द्वारा नामांकन वापिस नहीं लिया गया है। इससे स्पष्ट है कि उम्मीदवारों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं ली गयी है,

जो कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधान एवं नियमों के प्रतिकूल है। अतः प्रश्नाधीन संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विरगंवारी के जांच आधीन निर्वाचन की कार्यवाही के अंतर्गत नामांकन प्राप्त करने और नामांकन पत्रों की जांच करने तक की प्रक्रिया अर्थात् दिनांक 2.7.2015 तक की निर्वाचन कार्यवाही ही वैध पाई जाती है। दिनांक 3.7.2015 को नामांकन पत्रों की वापिसी, एवं शेष नामांकन पत्रों की घोषणा एवं उसके आधार पर आगे की गई निर्वाचन प्रक्रिया नियमानुकूल नहीं होने से अवैध होकर शून्यत्व है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

दिनांक 3.7.2015 को नामांकन वापिसी की कार्यवाही एवं उसके उपरांत की गई सांस्त निर्वाचन की कार्यवाही निरस्त की जाती है तथा यह आदेशित किया जाता है कि दिनांक 2.7.2015 को नामांकन पत्रों की जांच उपरांत वैध पाये गये 28 नियोजन पत्रों को आधार मानते हुये उसके आगे की प्रक्रिया सम्पादित कराई जावे, इस हेतु पुनः निर्वाचन कार्यक्रम विधिवत नियत किया जाकर निर्वाचन प्रक्रिया के साथ जिला प्रशासन की यथोचित निगरानी में निर्वाचन संपन्न कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश के फलस्वरूप दिनांक 2.7.2015 के पश्चात् की समस्त निर्वाचन प्रक्रिया शून्य मानी जायेगी और संस्था के कार्य संचालन के लिये जिले के सक्षम प्राधिकारी संस्था में यथोचित प्रबंध तत्काल प्रभाव से करेंगे। इस प्रकरण में दिनांक 3.7.2015 की निर्वाचन कार्यवाही में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है इस स्थिति से निर्वाचन अधिकारी के प्रशासकीय विभाग को अवगत कराया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2015 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

क्रमांक/विधि/ 2015/2293  
प्रतिलिपि:-

1. उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बलबंत प्रसाद शर्मा निवासी-ग्राम विरगंवारी तहसील अटेर जिला-मिण्ड
2. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला मिण्ड
3. महेन्द्र सिंह कुशवाह, निर्वाचन अधिकारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विरगंवा रानी जिला मिण्ड
4. समिति प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विरगंवा रानी जिला मिण्ड
5. श्री सुरेश कुमार शर्मा, निर्वाचित अध्यक्ष, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विरगंवा रानी जिला मिण्ड।
6. श्री रामनाथ सिंह संचालक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विरगंवा रानी जिला मिण्ड

संयुक्त पंजीयक, 30/12/15  
सहकारी संस्थाएं संभाग ग्वालियर

//संशोधित आदेश//

म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 49-घ के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित विरगंवा रानी विकास खण्ड अटेर जिला मिण्ड, पंजीयन क्रमांक 603 दिनांक 17.11.1978 के संचालक मण्डल के सदस्यो, पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु श्री राकेश शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया था।

श्री राकेश शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी अटेर के स्थान पर श्री एम.एस. कुशवाह उपयंत्री लोकनिर्माण विभाग गोहद कृषि विभाग जिला मिण्ड को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया। जो तत्काल प्रभावशील होगा

(म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल द्वारा अनुमोदित)

क्र./निर्वाचन/2015/147  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री राकेश शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमारी अधिकारी/प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित विरगंवा रानी विकास खण्ड अटेर जिला मिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री श्री एम.एस. कुशवाह उपयंत्री रिटर्निंग ऑफीसर जिला मिण्ड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विरगंवा रानी जिला मिण्ड द्वारा प्रस्तुत संलग्न निर्वाचन कार्यक्रम के आधार पर संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन सम्पन्न करावे।
5. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मिण्ड की ओर सूचनार्थ।

उपायुक्त सहकारिता  
जिला मिण्ड (म.प्र.)





// आदेश //

भोपाल, दिनांक 10/03/2016

क्रमांक-एफ-19-70/2016/स्था./19, राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, मिण्ड को मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में प्रकरण डब्ल्यू.पी.क्रमांक-215/2016 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-  
(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।  
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।  
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।  
(घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उरो जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे।
9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदमे है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकदमे है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा अधिवक्ता  
(सुनील गुडावा)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग  
भोपाल, दिनांक 10/03/2016

पृ.क्र.-एफ-19-70/2016/स्था./19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. डिप्टी रजिस्ट्रार, मान.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, निर्माण भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण, उत्तर-परिक्षेत्र-ग्वालियर।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, मिण्ड प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।
6. कलेक्टर - मिण्ड (मोप्रो)।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग